17/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। बहस

उपलब्ध पर मनन किया। प्रार्थना पत्र एवं

संलग्न उप तहसीलदार (भू० अ०) कालानेरी रिपोर्ट में

वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया। बहस उपलब्ध

पर मनन करने एवं प्रार्थी प्रार्थना पत्र व उपतहसीलदार

(भू० अ०) कालानेरी रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यों के अवलोकन

के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना

उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा-128 L.R.Act पोषणीय नहीं होने से

SDM

हुक्म या कार्यवाही मय इनि [illegible] अज	नम्बर अहकाम हुक्म में जा[illegible]
खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नियमानुसार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 17.5.24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या– 18 / 2023
प्रकरण दायर दिनांक– 05.05.2023
प्रकरण निर्णय दिनांक– 17.05.2024

उनवान

1. गिर्राज पुत्र सेडया जाति गुर्जर निवासी अन्नतवाडा, तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

बनाम

1. तहसीलदार बसवा, जरिये लैण्ड होल्डर, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट पेश किया कि वाके ग्राम अनन्तवाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में खतौनी सं. नई 214 पुरानी 204 के खसरा नं. 1196 रकबा 0.51 हैक्टे. प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है जिसके पास ही ख. नं. 1294 रकबा 0.01 हैक्टेयर चाही 2, खसरा नं. 1295 रकबा 0.03 हैक्टेयर चाही 02, खसरा नं. 1300 रकबा 0.07 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता, खसरा नं. 1301 रकबा 0.11 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता, 1302 रकबा 0.05 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता की भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1296 से लगती हुई भूमि है जिसका सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2022 को उप तहसीलदार बडियाल कला द्वारा खसरा नं. 1294, 1295, 1300, 1301, 1302 का सीमांकन किया जाकर निशानात लगाये गये। जिसका मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम अनन्तवाडा तहसील बसवा जिला दौसा की रिपोर्ट प्रार्थन पत्र के साथ संलग्न है।

उक्त भूमि खसरा नं. 1300, 1301, 1302 गै. मु. रास्ते की भूमि है। जिस पर आस पडोस के खातेदार जबरन कब्जा कर रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा करने पर आमादा है इसलिए भूमि खसरा नं. 1294, 1295, 1300, 1301, 1302 का दिनाक 15.06.2022 की मौका पर्चा सीमाज्ञान की रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी व तारबन्दी किया जाना आवश्यक है जिससे कि भूमि खसरा नं. 1294, 1295, 1300, 1301, 1302 पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा कर रास्ते की भूमि में अवरोध उत्पन्न नही कर सकें।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1296 जिसके पास ही खसरा नं. 1294, 1295, 1300, 1301, 1302 की भूमि स्थित है जिसका मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2022 के अनुसार भूमि खसरा नं. 1294, 1295, 1300, 1301, 1302 ग्राम अन्नतवाडा तहसील बांदीकुई की पत्थरगढी एवं तारबन्दी किये जाने के आदेश अप्रार्थी को दिये जाने की कृपा करें।

१५६–

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रकरण में उपतहसीलदार आभानेरी रिपोर्ट दिनांकः 08.05.2023 प्राप्त हुई। उप तहसीलदार आभानेरी ने उक्त रिपोर्ट को पैरोकार सरकार का जवाब माना जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा बहस में मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2022 के अनुसार भूमि खसरा नं. 1294, 1295, 1300, 1301, 1302 ग्राम अन्नतवाडा तहसील बांदीकुई की पत्थरगढी एवं तारबन्दी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया। हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न उपतहसीलदार आभानेरी रिपोर्ट दिनांकः 08.05.2023 का अवलोकन किया गया। उपतहसीलदार आभानेरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नं. 1294, 1295, 1300, 1301, 1302 राजकीय भूमि की पत्थरगढी हेतु प्रार्थी के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं होना एवं उक्त कार्यवाही हेतु स्थानीय ग्राम पंचायत के स्तर से पक्षकार होना अपेक्षित बताया है।

उपतहसीलदार आभानेरी रिपोर्ट दिनांकः 08.05.2023 के अवलोकन से प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नं. 1294, 1295, 1300, 1301, 1302 राजकीय भूमि की पत्थरगढी हेतु स्थानीय ग्राम पंचायत के स्तर से पक्षकार होना अपेक्षित है, प्रार्थी के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न उपतहसीलदार आभानेरी रिपोर्ट दिनांकः 08.05.2023 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 एल.आर.एक्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

17/5/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई